न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी— गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या— 15/2021

1. भंवराराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन उदासर बड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— प्रार्थी

बनाम

1. लादुराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल साकिन उदासर बड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत पाण्डूसर जरिये सरंपच ग्राम पंचायत पाण्डूसर पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर।

— असल अप्रार्थी

4. रायसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन उदासर बड़ा तहसील नोहर

— तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थितः— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः—31.07.2024

प्रार्थी भंवराराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन उदासर बड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ निगरानी विरूद्ध बखिलाफ निर्णय दिनांक 22.11.2006 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील सं. 16/05 स्वीकार की गई को, अपास्त करवाने बाबत् निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षपे में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. ग्राम उदासर बड़ा तहसील नोहर मे ग्राम जबरासर को जाने वाले रास्ते की भूमि पर निगरानीकर्ता एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 द्वारा [illegible] का रास्ता छोटा कर दिया गया है। जिससे आवागमन अवरूद्ध हो गया तथा [illegible] डन्टस के पिता के नाम से जारी पट्टे में रास्ता 25 फुट चौड़ा दर्शाया गया है किन्तु उक्त अतिक्रमण से मात्र 8 फुट रह गया है, एवं उक्त स्वीकृत रास्ता पर नाजायज तौर से बिना अधिकार खिलाफ कानुनी के अतिक्रमण कर लिया है। तथा उक्त रास्ता अवरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

होने से आने–जाने वाले साधनो को काफी दिक्कत है तथा सार्वजनिक सम्पति पर जान बुझकर अतिक्रमण किया है तथा सार्वजनिक भूमि पर अन्य लोग भी अतिक्रमण करेगे तथा सार्वजनिक हित को देखते हुऐ नाजायज अतिक्रमण हटवाया जावे, एवं अपील अपीलान्ट पेश होने पर अपील अपीलान्ट संयोजित की जाकर पक्षकार को सुनवाई का नोटिस जारी किया एवं विवादित स्थल का मौका देखा गया। तथा मातहत अदालत द्वारा अपील अपीलान्ट दिनांक 22.11.2006 को स्वीकार कर ली गई तथा ग्राम पंचायत पाण्डूसर को निर्देशित किया गया कि विवादित स्थल पर पट्टे से अधिक अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ते को चौड़ा करवाया जावे एवं उपरोक्त निर्णय दिनांक 22.11.2006 को अपास्त करवाने हेतु यह निगरानी प्रार्थी निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत कर रहा है।

(क) निर्णय दिनांक 22.11.2006 अदालत मातहत बखिलाफ कानूनी नियम व रूह दाद मिसल है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ है तथा निर्णय दिनांक 22.11.2006 काबिल खारिज है।

(ख) मातहत अदालत ने प्राथी को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया तथा प्रार्थी ग्राम उदासर न रहकर थालड़का में खेती बाड़ी का कार्य करता है तथा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी को ना तो नोटिस किया गया तथा ना ही जवाब देही एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। इसलिए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है।

(ग) मातहत अदालत द्वारा जो मौका रिर्पोट तैयार की गई है वह केवल मात्र टेबल रिपोर्ट तैयार की गई है तथा ना ही मौका रिपोर्ट पर किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर है, तथा ना ही मौतबिरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर है क्योंकि प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति द्वारा मौका देखा ही नही गया है। यदि मौका देखा जाता तो वास्तविक रिपोर्ट पेश होती, क्योंकि निगरानी कर्ता द्वारा रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था एवं अपील में ग्राम पंचायत पाण्डूसर आवश्यक पक्षकार थी परन्तु ग्राम पंचायत को पक्षकार भी संयोजित नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

(घ) ग्राम पंचायत पाण्डूसर [illegible] निगरानीकर्ता के पिता मोमनराम पुत्र लिछमणराम जाति [illegible] तहसील नोहर के पक्ष में दिनांक 07.10.1981 को पट्टा जारी किया गया है [illegible] पटटा में आम रास्ता जबरासर 20 फुट दर्ज है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 4 द्वारा आज दिनांक तक 20 फुट

जिला कलेक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रास्ता छोड़ा गया है। तथा किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नही किया गया है एवं पट्टा में 20 फुट रास्ता स्वीकृत है जबकि मातहत अदालत द्वारा 25 फुट रास्ता बतलाया गया है क्योंकि मातहत अदालत द्वारा पट्टे का अवलोकन ही नही किया गया है। केवल मात्र मौखिक कथनो एवं अपीलान्ट के कहने से निर्णय पारित किया गया है, जो कि निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए अपील मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय खारीज योग्य है।

(ड) मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2006 को प्रार्थी को पूर्व में ज्ञान नही था तथा क्योंकि प्रार्थी पूर्व में खेती का कार्य अन्यत्र ग्राम में करता था तथा मजदुरी करने हेतु बाहर गया हुआ था तथा प्रार्थी का निर्णय का ज्ञान नही था तथा प्रार्थी को वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा 25 फुट रास्ता खुलवाने हेतु कहा गया तब प्रार्थी को निर्णय का ज्ञान हुआ था, तब प्रार्थी ने राय लेकर व पैसे आदि की व्यवस्था करके प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन मय शपथ–पत्र सलंन है तथा निगरानी मियाद की छुट प्रदान की जावे एवं निगरानी ज्ञान से अन्दर मियाद है।

2. निगरानी के अन्य बिन्दु वरवक्त बहस न्यायालय की इजाजत से पेश किये जायेगे।

3. निगरानी काबिल समाअत अदालत वाला व उचित कोर्ट फीस पर तहरीर कर पेश है, तथा अन्दर मियाद पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2006 अपास्त फरमाया जावे एवं पट्टा दिनांक 07.010.1981 में वर्णित आम रास्ता 20 फुट चौड़ा रखा जावे।

निगरानी प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किय गया। अप्रार्थी संख्या–01 तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–02, 03 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या–04 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया तथा प्रार्थी ग्राम जसाणा न रहकर अन्यत्र में खेती बाड़ी का कार्य करता है तथा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी को ना तो नोटिस किया गया तथा ना ही जवाब देही एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जो न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swamkar
Date: 2024.08.05 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, वह केवल मात्र टेवल रिपोर्ट तैयार की गई है तथा ना ही मौका रिपोर्ट पर किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर है, ना ही मौतबिरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर है क्योंकि प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति द्वारा मौका देखा ही नहीं गया है। यदि मौका देखा जाता तो वास्तविक रिपोर्ट पेश होती क्योंकि निगरानी कर्ता द्वारा रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया एवं अपील में ग्राम पंचायत पाण्डूसर आवश्यक पक्षकार थी परन्तु ग्राम पंचायत को पक्षकार भी संयोजित नही किया गया है। इस हेतू निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–1. 2009(1) RRT 152 अतः अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2006 को अपास्त कर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत पांडुसर को पक्षकार नहीं बनाया गया, जो कि आवश्यक पक्षकार था एंव अधीनस्थ न्यायालय की मौका रिपोर्ट अस्पष्ट एंव अधूरी है क्योंकि मौका रिपोर्ट को देखनें से यह पता नहीं चलता कि यह रिपोर्ट कब तैयार की गई ? एंव किसके द्वारा तैयार की गई? प्रार्थी के पिता के नाम से दिनांक 07.07.1981 को जारी पट्टा संख्या 87 में प्रार्थी के भूखण्ड के सामने रास्ता 20 फुट दर्शाया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह रास्ता 25 फुट बताया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2006 को पारित निर्णय में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति का निर्णय दिनांक 22.11.2006 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रार्थी को सुनवाई का असवर प्रदान करते हुए मौका निरीक्षण कर नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)